an>

Title: Need to provide Rajasthan its allocated share of Yamuna river water as per agreement.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः यमुना बेसिन राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र शासित दिल्ली के मध्य दिनांक 12.5.1994 को हुए समझौते के तहत 1.119 बी.सी.एम. यमुना जल का आबंटन हुआ था। यमुना जल आबंटन हेतु यमुना नदी मंडल को अधिकृत किया गया। अपर यमुना नदी मंडल राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल ताजेवाला हैडवर्क्स से एवं 1281 क्यूसेक यमुना जल ओखला हैडवर्क्स से आबंटित किया गया था। हरियाणा के ताजेवाला हैडवर्क्स पर यमुना जल आबंटन बाबत् असहमति के कारण इस प्रकरण को अपर यमुना रिव्यू कमेटी को भेज दिया गया। अपर यमुना की बैठकों में जल को राजस्थान तक पहुंचाने की कार्य प्रणाली पर सहमति नहीं बनी। अपर यमुना कमेटी की पांचवी मीटिंग में अध्यक्ष ने राजस्थान का हिस्सा 1917 क्यूसेक यमुना जल ताजेवाला हैडवर्क्स से पश्चिम यमुना नहर द्वारा ले जाने का निर्णय दिया, लेकिन हरियाणा इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से के पानी के लिए भारत सरकार से मांग की है, लेकिन अभी तक हरियाणा इससे सहमत नहीं हुआ है।